जिला कलैक्टर
106/2016 श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 106/2016 श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राम्हण निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

A3

31–01–2017

अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी व उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा समय अवधि में उपलब्ध नही करवाई गई है। उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी से निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> (1) आपके कार्यालय में गांव खांटा के रास्तो का प्रकरण कब से चल रहा है।
> (2) आपके द्वारा बन्द रास्तो का मौका निरीक्षण जांच की रिपोर्ट
> (3) बन्द रास्तो के खुलवाने की आपके द्वारा की गई कार्यवाही
> (4) श्रीमान उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा रा.उ.मा. पाठशाला खांटा में राजीव गांधी सेवा केन्द्र (अटल सेवा केन्द्र, वास्ते स्कूल की जगह पर निर्माण का आदेश पत्रांक 1440 रामचन्द्र बनाम सरकार 133 सीआरपीसी मु0 07/12 सम्पूर्ण फाईल की नकल।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या सूकाअ/16/1081 दिनांक 05/08.07.16 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित सूचनाओ से संबंधित सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/16/820 दिनांक 01.06.16 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई थी के संबंध में अपील का जबाब बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

क0सं0	प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना	उत्तर
1	गांव खाटा के रास्तो के प्रकरण	प्रार्थी द्वारा रास्ता सम्बन्धी प्रकरणो में प्रकरण संख्या व अनवान अंकित नही किया है अतः सूचना नही दी जा सकती।
2	बन्द रास्तो का मौका निरीक्षण	प्रार्थी द्वारा रास्ता संबंधी प्रकरणो में प्रकरण संख्या व अनवान अंकित नही किया है तथा किसी प्रकरण में मौका निरीक्षण किया है अंकित नही किया है। अतः सूचना नही दी जा सकती है।
3	बंद रास्तो को खुलवाने के संबंध में	बन्द रास्तो को खुलवाने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।
4	अटल सेवा केन्द्र वास्ते स्कूल की जगह पर निर्माण	ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में जगह को आरक्षित करवाकर अटल सेवा केन्द्र का निर्माण राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा करवाया गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीग...र

P.T.O.

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 106/2016

4	सरकार बनाम रामचन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी की नकल	प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.16 को इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार चाही गई नकले प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

उपजिला मजि0 रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन दिनांक 05/08.07.16 के द्वारा दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उसे उक्त प्रतिवेदन कमांक 1081 दिनांक 05/08.07.16 की प्रतिलिपि नही मिली है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला मजि0 रायसिंहनगर को निदेशित किया जाता है कि वे अपने उक्त प्रतिवेदन कमांक 1081 दिनांक 05/08.07.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपजिला मजि0, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

3/3-14
6-2-17

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर